

क्रमांक-166
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीटारसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मे.ए.दुरीया
तथा भू.अ.नि. मे.ए.दुरीया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रे.ए.अ.अ.अ. / नायब
तहसीलदार रे.ए.अ.अ.अ. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसूचना में ग्राम दुरीया तहसील रे.ए.अ.अ.अ. व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 108 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	दुरीया	108	SBBJ शाब्द दुरीया	SBI शाब्द राजपुरा-दुरीया

पीटारसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

दिनांक :- 3 OCT 2025

क्रमांक-166
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार _____ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीटारसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____